REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112024-258578 CG-DL-E-11112024-258578

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2024/कार्त्तिक 20, 1946 No. 637] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2024/KARTIKA 20, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ड क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (जांच की पद्धति और शास्ति का अधिरोपण) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इस नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ----

- (क) "अधिनियम" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अभिप्रेत है;
- (ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 45ख के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्द और पद जिन्हें इन नियमों में प्रयुक्त किया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो इनका वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. शिकायत — केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , प्रदूषण नियंत्रण समितियां तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अपने –अपने क्षेत्राधिकार में अपने प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से, अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति , अधिनियम की धारा 41, धारा 41क , धारा 42, धारा 43, धारा 44, धारा 45क और धारा 48 के अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्पीड पोस्ट या स्वयं न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्ररूप-I में शिकायत दर्ज कर सकेगा।

4. जांच करना – (1) अधिनियम की धारा 45ख के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-II में नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (उसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन से कम नहीं होगी) क्योंकि उसके विरुद्ध जांच नहीं होनी चाहिए।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में कथित रूप से किए गए उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि एक जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी तारीख को पेश होने की आवश्यकता के लिए एक नोटिस जारी करेगा जो नोटिस में तय की जा सकेगी।
- (4) नियत तारीख पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि जिसके विरुद्ध कार्यावाही की जा रही है को ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और अधिनियम के उपबंध के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
- (5) तब न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-III के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को भविष्य की तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और ऐसे साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति से साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है और उसे इसके लिए बाध्य कर सकता है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।
- (7) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल होता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के बाद ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकेगा।
- (8) यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जिसे वह युक्तियुक्त समझता है।
- (9) उप-नियम (8) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और इसमें शास्ति अधिरोपण के कारण शामिल होंगे।

- (10) इस नियम के अधीन जारी किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता और उस व्यक्ति को नि:शुल्क आपूर्ति की जाएंगी जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।
- (11) न्यायनिर्णायक अधिकारी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
- (12) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जांच की जाती है, निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील की जाएगी,-
 - (i) उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को परिदान या निविदान द्वारा; अथवा
 - (ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा व्यक्ति को उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान पर भेजकर जहां उसने व्यवसाय किया या अंतिम बार व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया या लाभ के लिए अंतिम बार काम किया हो; अथवा
 - (iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे बाहरी दरवाजे या परिसर जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम निवास करने या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से काम करने या लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है, के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर तामील की जा सकती है।

5. शिकायत का हस्तांतरण – (1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है या यह प्रकट किया जाता है कि उसके पास इन नियमों के अधीन किसी शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह ऐसी शिकायत या जानकारी की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को हस्तांतरित करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला हस्तांतरित किया जाता है, वह उस जांच को उस चरण से आगे बढ़ाएगा जहां पर उसे हस्तांतरित किया जाता है।

6. समयावधि का विस्तार – न्यायनिर्णायक अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जहां देरी या कार्य करने में विफलता का उचित कारण है, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकता है जिसे वह उचित समझता है।

7. आदेश और शास्तियां – (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित और सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा;

(2) इन नियमों के अधीन जुर्माने के माध्यम से वसूल की गई सभी धनराशियां अधिनियम के 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएंगी।

> प्ररूप - | (नियम 3 देखें)

सेवा में, न्यायनिर्णायक अधिकारी

.....

1. शिकायतकर्ता का विवरण: -

(क) नाम:

(ख) डाक का पता:

- (ग) संपर्क सं:
- (घ) ईमेल (संपर्क हेतु):

2. शिकायत का विवरण: -

- (क) कथित उल्लंघन की तारीख, समय और घटना:
- (ख) सभी प्रासंगिक जानकारी के विवरणों को दर्शाते हुए उल्लंघन का विवरण:
- (ग) विवरण के समर्थन में साक्ष्य:
- (घ) लागत के ब्यौरे सहित क्षति की अनंतिम रकम (आर्थिक रूप से)।

मैं/हम....., शिकायतकर्ताइसमें यह घोषित करता हूँ कि यहां बताए गए तथ्य मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं।

3. शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:

टिप्पण. – जो लागू नहीं है उसे काट दीजिए।



सेवा में

कारण बताओ सूचना

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

दिनांक _____ को प्ररूप-I (प्रतिलिपि संलग्न) में प्राप्त शिकायत के अनुसारमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा ----------के अंतर्गत उल्लंघन किया गया है।

2. उपर्युक्त उल्लंघन जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। अत:, आपको यह बताना होगा कि इस सूचना की तामील के ----- दिनों की अवधि के भीतर जुर्माना लगाने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन आपके विरुद्ध जांच क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।

> न्यायनिर्णायक अधिकारी (कार्यालय का नाम और मुहर)

सेवा में	
न्यायनिर्णायक अधिकारी	
मैं/हम,	
प्ररूप-I में की गई शिका	यत का प्रतिकथन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।
जिन आधारों पर प्रतिकथन प्रस्तुत किया गया है वह	निम्नानुसार हैं: -
मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ पोस्टल इंडेक्स	
नंबर/कोड और राज्य सहित पूरा पता	
उल्लंघनकर्ता या उसके अधिकृत	
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:	
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का	
नाम और मोबाइल नंबर।	
	[फा. सं. क्यू-15012/2/2022-सीपीडबल्यू-भाग(2)/ ई 240798]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2024

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ma) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (b) "adjudicating officer" means an officer appointed under section 45B of the Act;
- (c) "form" means a form appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act

3. Complaint. — The Central Pollution Control Board, State Pollution Control Boards, Pollution Control Committees and Integrated Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in their respective jurisdictions, through their authorized Officers, or any other persons, may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under sections 41, 41A, 42, 43, 44, 45A and 48 of the Act.

4. Holding of Inquiry.– (1) For the purpose of adjudication under section 45B of the Act whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer within thirty days from the date of receipt of the complaint shall, issue a notice in Form-II to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fifteen days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

- (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
- (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a legal representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
- (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised legal representative, the contravention, committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.
- (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
- (6) While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
- (8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.
- (9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
- (10) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held .
- (11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the opposite party.
- (12) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner,-
 - (i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
 - (ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
 - (iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

5. Transfer of complaint.-(1) If the adjudicating officer is of the view or it is made to appear that he does not have jurisdiction to entertain any complaint under these rules, he shall transfer the matter to the adjudicating officer

concerned within fifteen days of the receipt of such complaint or information made to him after reasons to be recorded in writing.

(2) The adjudicating officer to whom such case is transferred shall proceed with the inquiry from the stage it is transferred to him.

6. Extension of time.– The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.

7. Order and penalties.- (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties;

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Environment Protection Fund established under 16 of the Act.

FORM I

(see rule 3)

To,

The Adjudication Officer

1.Particular of complainant: -

(a) Name:

- (b) Address for service:
- (c) Contact No:

(d) Email (for service):

2. Particulars of complaint: -

(a) Date, time and instance of commission of the alleged contravention:

(b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars:

(c) Evidence in support of the statement:

(d) Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.

I/We....., the complainant.....herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge.

3. Name and Signature of the Complainant:

Note. - Strike out whichever is not applicable.

Form –II

[See sub- rule (1) of rule 4]

То

SHOW CAUSE NOTICE

Sub: Contravention of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Sir/Madam,

As per the complaint received in Form-I dated _____(copy enclosed), contravention has been committed under section ----- of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 in

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ------ days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under the Water (Prevention and

Control of Pollution) Act, 1974 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act .

Adjudicating Officer
Name and seal of the office)

FORM-III Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener [see sub-rule (5) of rule 4]

То

Adjudication Officer	
I/We,hereby give a counter statemen	
The grounds in which the counter statement is made are	
Signature of the contravener or his authorised representative:	
Name of the person along with mobile number who has signed.	

[F. No. Q-15012/2/2022-CPW-Part (2)/e-240798] VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.